में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रणाली दिनांक 8 सितम्बर, 1998 से लागू की गई है। बैंकों को भर्ती के लिए संशोधित रोस्टर रखने के लिए कहा गा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के बाद भरी जाने वाली सभी रिक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विनिर्दिष्ट सेस्टर मदें शामिल हों।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के बाद की प्रस्पेक भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटे को ध्यान में रखा जाता है।

**Irregularities in Dona Bank**

3790. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Head Office of the Dena Bank has been asked to conduct a thorough enquiry into the irregularities alleged to have been committed by the Trivandrum Branch of the Dena Bank; and

(b) if so, whether Government will direct the Head Office to:—

(i) furnish the total amount of cheques accommodated in clearing which was returnable due to the reason "Funds insufficient" or "Exceeds Arrangement";

(ii) state what remedial measures are initiated to stop such types of activities; and

(iii) state what punitive action are taken on the erring officials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (b) Dena Bank has reported that it has conducted a thorough enquiry into the irregularities committed by some officials of their Trivandurm Branch. The Bank has reported that during the years 1995-96 and 1996-97 cheques amounting to Rs. 368 lacs were accomodated in clearing which were otherwise returnable due to reasons such as "Funds insufficient" or "Exceeds arragemcnu". In this regard, the bank has instructed the Barnch Manager of the branch to debit customer's account promptly when unpaid instruments are returned and maintain record of these instruments properly. The Bank has also issued instructions to ensure that no employee works on the clearing desk for an unduly long period. Instructions have also been given by the bank to concerrent auditors to check such lapses. Internal and external Inspectors and Vigilence Officers have also been isntructed to check the General Ledger of the branch thoroughly and if any irregularities are observed that should be brought to the notice of controlling office immediately. The concenred Branch Manager and Accountant have been transferred from the Branch and penality has been imposed on both the officers. The entire interest on the accommodation enjoyed has been recovered from the parties concerned.

**प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में खान समिति की सिफारिशें**

3791. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**:

**श्री बरजिन्दर सिंह**:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित खान समिति ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में कतिपय परिवर्तन के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सुझाव क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कोइ निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम)**: (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1997 में एक कार्य दल का गठन किया था ताकि विकास वित्त संस्थाओं तथा बैंकों को भूमिका तथा कार्यों के अनुरुप चला जा सकें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एच खान की अध्यक्षता में इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में बैंकों द्वारा

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों की है:—

(I) इन क्षेत्रों को वित्पोषित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित किए जाने की आवशयकता है। ऐसे तंत्र का उद्देश्य वित्त संबंधी आवश्यकता को एपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त संरचना एवं इन क्षेत्रों के साथ लेन-देन करने में विशिष्ट कुशलताओं की आश्यकता के साथ संतुलित करना होगा। जब कभी कुछ क्षेत्रों के लिए रियायती वित्त देने की आवश्यकता हो, तब विशेष रुप से रखी गई आर्थिक सहायता से उसे पूरा किया जा सकता है।

(II) प्राथमिकता क्षेत्र दायित्वों की गणना के लिए आधारिक ऋण को "शुद्ध बैंक ऋण" की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आधारिक वित्त (जब यह एक बार ले लिया जाए) में अन्तर्ग्रस्त बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह पूर्णतया अनिवार्य है, क्योंकि इससे वह समग्र ऋण मात्र बढेगी जिस पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आधारित है।

(III) मौजूदा शर्त के तहत, प्राथमिकता क्षेत्र दायित्व चालू वित्त वर्ष के 40 प्रतिशत शुद्ध बैंक ऋण से जुड़ा है, जो ऋण योजना की प्रक्रिया में बाधा से जुड़ा है, जो ऋण योजना की प्रक्रिया में बाधा पहुंचता है। कुशल ऋण संवितरण को सुकर बनाने के लिए प्राथमिकता क्षत्र दायित्व को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध बैंक ऋण से जोड़ा जाना चाहिए।

(IV) इस समय प्राथिमिकता क्षेत्र के लिए अग्रिम राशियों का वर्गीकरण मुख्यतः आकार के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। इस दल का विचार है कि प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा को विस्तृत बनाया जाना चाहिए ताकि पूर्ण उद्योग/क्रियाकलापों के वर्ग को इसमें शामिल किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अलग-अलग लाभग्राहियों के आकार के कारण अतिरक्त नियंत्रण लगाए बिना प्राथमिकता क्षेत्र के रुप में अभिज्ञात किए गए क्षेत्र को समुचित महत्व मिले।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक कार्य दल की सिफारिशों की जांच कर रहा है।

**(कीमतों में वृद्धि और रुपए का अवमूल्पन)**

3792. **श्री जनार्दन यादव**: क्या वित्त मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू बजट के बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है;

(ख) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार कौन-कौन से उपाय कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डालर की कीमत बढ़ रही है जबकि रुपए की कीमत घट रही है; और

(घ) सरकार के पास रुपए की कीमत बढ़ाने के संबध में क्या योजना है?

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा)**: (क) दैनिक उपभोग की 30 आवश्यक वस्तुओं, जिनकी कीमतें साप्ताहिक आधार पर नियमित रुप से मॉनीटर की जाती है, में से केवल पांच वस्तुओं अर्थात् अरहर, आलू, प्याज, रेपसीड/सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, और गुड़ की कीमतों में मार्ज, 1998 से तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। शेष आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में केवल मामूली वद्धि हुई है अथवा उनमें गिरावट ही आई है। दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं, जिनका उत्पादन मौसमी आधार पर होता है, की कीमतें उनके उत्पादन के नतीजों से प्रभावित होती हैं। 1997-98 में रबी की फसल के दौरान बारिश का लम्बे समय तक चला दौर और बाद में अत्यधिक गर्मी का दौर प्याज, आलू तिलहनों, दालों और अनेक अन्य मौसमी फलों और सब्जियों के उत्पादन में तीव्र गिरावट का कारण बना। इस प्रकार उत्पादन में तीव्र गिरावट ही सब्जियों, फलों, खाद्य तेलों और कुछ दालों की कीमत में अधिक मौसमी वृद्धि का मुख्य कारण रही है। बजट का आलू और प्याज तथा अन्य फलों और सब्जियों के भी उत्पादन में गिरावट में प्रभाव नहीं पड़ता है और पड़ सकता था।

(ख) कीमतों में वृद्धि में संतुलन लाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। राजकोषीय मितव्ययिता, मुद्रा आपूर्ति वृद्धि में रोक और उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति पक्ष का प्रबन्धन मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अमल में लाए गए मुख्य उपाय हैं। सरकार ने घरेलू उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात के सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से खाद्य तेल के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने डी.एस.सी.एस.सी., सुपर बाजार, एन.सी.सी.एफ., केन्द्रीय भंडार और मदर डेयरी की खुदरा दुकानों के माध्यम से प्याज और आलूओं की आपूर्ति के लिए एक स्कीम तैयार की है।

(ग) और (घ) जी, हां। जापानी येन, ड्यूश मार्क और फ्रेंच फ्रांक की तुलना में अमरीकी डालर विशेष रुप से जून, 1997 से मजबूत हुआ है जबकि अमरीकी